न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री भागीरथ राम चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 15 / 2025

1. महेश कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति सुनार निवासी भादरा।
2. संजय कुमार पुत्र रामस्वरूप जाति सुनार निवासी भादरा। :—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। :—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
111, 128 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :—श्री दलवीर बैनीवाल प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक:- 29.04.2026

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा किकराली के खाता सं0 109 / 106 के खसरा सं0 108 की 4.5780है0 बारानी कृषि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम नाम दर्ज है।

उपरोक्त कृषि भूमि किकराली के रोही में स्थित है। उक्त कृषि भूमि के पडोसियान हमेशा सींव वावत प्रार्थीगण के साथ झगडा फसाद करते रहते है। जिस कारण प्रार्थीगण अपने खेत के चारों तरफ वाड वगैरहा सही ढंग से नहीं कर सकते है। और ना ही अपने खेत को सुधार सकते है तथा प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। तथा एलानियां धमकी देते है कि हम उक्त भूमि पर तुम्हें कदम नहीं रखने देंगे। प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर कम भी हो गई है। इसलिए प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि खसरा सं0 108 की 4.5780है0 भूमि की पैमाईश करवाना चाहते है। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि के चारों और निशानदेही देकर पंत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण अपनी उक्त कृषि भूमि को पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के वाद अप्रार्थी सं0 1 राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने रिपोर्ट पेश की व पटवारी हल्का की दैनिक डायरी की प्रति पेश की गई।

वहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने वहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा किकराली के खाता सं0 109 / 106 के खसरा सं0 108 की 4.5780है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है प्रार्थीगण ने अपनी कृषि का सीमा ज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार राजस्व भादरा के यहा प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान किया जाकर रिपोर्ट तैयार की गई व निशानदेही दी गई। प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पुख्ता पैमाईश चारों सीमाओं पर पत्थरगंढी करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा, को आदेशित किया जाता है कि वे रोही रोही मौजा किकराली के खाता सं0 109 / 106 के खसरा सं0 108 की 4.5780है0 बा[illegible] भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि की आपके [illegible] की जाकर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण की कृषि भूमि के आस पडौस के [illegible] पैमाईश करवाई जाकर सीमाज्ञान करवाया जावे व साथ ही सीमाज्ञा[illegible] के कब्जाकाश्त की भूमि की चारों सीमाओं की पत्थरगढी करवाई जाना सुनिश्चत करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 12:00:28 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़